

नीति आयोग के 10 वर्ष

1 जनवरी 2025 को, **नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)** अपनी स्थापना के एक दशक पूरे कर लेगा, जो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। इसने गतिशील, बाज़ार-संचालित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप **योजना आयोग** का स्थान लिया है।

- नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया एक **सलाहकार निकाय** है (अर्थात् न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय)।

प्रमुख उपलब्धियाँ और योगदान:

- वित्तीय आवंटन से हटकर नीति परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा मिला।
- SDG इंडिया इंडेक्स** और **समग्र जल प्रबंधन सूचकांक** जैसे डेटा-संचालित सूचकांकों के माध्यम से **प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद** को मज़बूत किया गया।
- शासन और नीति कार्यान्वयन में सुधार के लिये **राज्य परिवर्तन संस्थान (SIT)** की स्थापना में राज्यों की सहायता की।
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023)** में प्रमुख सरकारी योजनाओं की 100% कवरेज प्राप्त करने के लिये 500 अवकिसति ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- अटल नवाचार मशिन (AIM)** ने नवाचार और **उद्यमिता** को बढ़ावा देने के लिये **अटल टकिरगि लैब्स** और **इनक्यूबेशन केंद्रों** जैसी पहलों के माध्यम से एक करोड़ से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को क्षेत्रीय भाषाओं तक विस्तारित किया तथा **जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों** पर ध्यान केंद्रित किया।
- ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना** जैसी संकल्पित पहल।

नीति आयोग

(राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)

इतिहास- योजना आयोग

वर्ष 1950 में निवेश संबंधी गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु स्थापित

1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित

नीति आयोग की संरचना

अध्यक्ष

प्रधानमंत्री

शासी मंत्रिपरिषद्

CMS (राज्य) और उपराज्यपाल (VTS)

क्षेत्रीय परिषदें

आवश्यकतानुसार गठित, जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं

सदस्य

पूर्णकालिक

अंशकालिक सदस्य

अधिकतम 2, क्रमिक, महत्वपूर्ण संस्थानों से

पदेन सदस्य

अधिकतम 4 मंत्रिपरिषद् से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित

विशेष आमंत्रितकर्ता

अनुमवी, विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले अभ्यासकर्ता

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निश्चित कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (सचिव रैंक)

सचिवालय

आवश्यकतानुसार

उद्देश्य

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण हेतु तंत्र विकसित करना (ग्रामीण स्तर पर)
- आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा
- सुभेद्य वर्गों पर विशेष ध्यान
- प्रमुख हितधारकों, नेशनल-इंटरनेशनल थिंक टैंक, शोध संस्थानों के बीच साझेदारी के लिये सलाह और प्रोत्साहन प्रदान करना
- ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता सहायता प्रणाली का निर्माण
- अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना
- अत्याधुनिक संसाधन केंद्र (State-of-the-art Resource Centre) बनाए रखना

नीति आयोग बनाम योजना आयोग

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	यह गैर-संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था।
इसमें व्यापक विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं।	इसमें सीमित विशेषज्ञता थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह योजना के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर केंद्रित है।	इसने 'टॉप-डाउन' दृष्टिकोण का अनुसरण किया।
इसके पास नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	राज्यों पर नीतियों को लागू किया और अनुमोदित परियोजनाओं के साथ धन का आवंटन किया।
इसके पास निधि आवंटित करने का अधिकार नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को निधि आवंटित करने का अधिकार था।

प्रमुख पहलें

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स
- अटल इनोवेशन मिशन
- ई-अमृत पोर्टल (इलेक्ट्रिक वाहन)
- सुशासन सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
- 'मेथनॉल अर्थव्यवस्था' कार्यक्रम

प्रमुख पहलें

- राज्यों को विवेकाधीन निधि प्रदान करने का अधिकार नहीं
- केवल एक सलाहकार निकाय
- निजी या सार्वजनिक निवेश को प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं
- संगठन का राजनीतिकरण
- सकारात्मक बदलाव लाने के लिये अपेक्षित शक्ति (Requisite Power) का अभाव



अधिक पढ़ें: [नीति आयोग](#)